न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 2/2022

बउनवान

हेमराज उम्र 66 वर्ष पुत्र श्री माधोलाल जाति मीणा निवासी ग्राम राजपुरा तहसील बारां, जिला बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री सुमित मीणा, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 11.10.2022

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 22.02.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम राजपुरा तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 471 रकबा 0.32 है., किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 176/– रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही अवलोकन नही कर निर्णय फरमाया गया है जो निरस्तनीय है। उक्त आराजी प्रार्थी के खाते के आराजी के लगवा स्थित है प्रार्थी अपनी आराजी पर पूर्वजो के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा है प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई अतिचार एवं अतिक्रमण नहीं किया है। प्रार्थी ने कई बार राजस्व कर्मचारियों से उक्त भूमि को नापकर बताने हेतु निवेदन किया है परन्तु राजस्व कर्मियों ने कोई ध्यान नही दिया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2022 निरस्त किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.14 15:34:27 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का किसी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ

न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया तथा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं बयान के आधार पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किये जाने में त्रुटि की है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित किये गये जुर्माने की राशि जमा करवा दी है तथा उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2022 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का के बयान से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 527/2022 निर्णय दिनांक 01.03.2021 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है, अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 471 रकबा 0.32 है., किस्म–चारागाह, ग्राम राजपुरा पर सम्वत् 2077 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 1707/2021 में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2021 से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 527/2022 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.14 15:34:27 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)